

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(2) गृह-10/2016

जयपुर, दिनांक 07.08.2020

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2018-19, 2019-2020 एवं 2020-21 की रिक्तियों के लिए पदोन्नति देने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों को सहायक निदेशक अभियोजन के अस्थाई पदों पर वेतन श्रृंखला (15600-39100) ग्रेड पे-(16) 6000/- **Pay Matrix L-15 in Revised Pay Rules 2017** में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1998) में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति का लाभ रिक्ति की दिनांक से एवं नकद लाभ उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा -

क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री शरद कुमार औझा	सामान्य वर्ग	2018-19	01.09.2018
2.	श्री अजय कुमार औझा	सामान्य वर्ग	2018-19	01.03.2019
3.	श्री भगवान सिंह राठौड़	सामान्य वर्ग	2018-19	04.03.2019
4.	श्री महेन्द्र कुमार पीपलीवाल	अ0जा0 वर्ग	2019-20	01.08.2019
5.	श्री सुरेश कुमार लेखरा	अ0जा0 वर्ग	2019-20	01.08.2019
6.	श्री दीन मोहम्मद खान	सामान्य वर्ग	2019-20	01.09.2019
7.	श्री राजेश मीना	अ0ज0जा0 वर्ग	2019-20	01.01.2020
8.	श्री महेन्द्र कुमार अग्ने	सामान्य वर्ग	2019-20	19.02.2020
9.	श्री कमलेश कुमार शर्मा	सामान्य वर्ग	2019-20	01.03.2020
10.	श्री कालूलाल मीणा	अ0ज0जा0 वर्ग	2020-21	01.04.2020
11.	श्री सत्यनारायण चितारा	अ0जा0 वर्ग	2020-21	14.05.2020
12.	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य वर्ग	2020-21	14.05.2020
13.	श्रीमती मंजूलता	सामान्य वर्ग	2020-21	14.05.2020
14.	श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड़	सामान्य वर्ग	2020-21	14.05.2020

(Handwritten signature)

क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
15.	श्री चतुर्भुज शर्मा	सामान्य वर्ग	2020-21	14.05.2020
16.	श्री राजेश कुमार पारीक	सामान्य वर्ग	2020-21	14.05.2020
17.	श्री राजपाल सिंह राठौड़	सामान्य वर्ग	2020-21	01.08.2020

उक्त अधिकारीगण के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार सैनी)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर